भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2
उत्तर दिनांक 29/01/2026 को दिया गया

परमाणु क्षेत्र में निजी प्रचालकों का विनियमन

2. श्रीमती जेबी माथेर हीशम

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, निजी संस्थाओं की सुरक्षित और जवाबदेह भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शांति अधिनियम के तहत कोई नियामक ढांचा विकसित किया गया है;

(ख) क्या अधिनियम के प्रावधान निजी संस्थाओं को परमाणु जोखिम प्रबंधन और रेडियोधर्मी अपशिष्ट निस्तारण के लिए उत्तरदायी बनाएंगे और, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार परमाणु दुर्घटना की स्थिति में निजी प्रचालकों के वित्तीय और पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों का समाधान करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) हां।

(ख) हां। जिन संस्थापनाओं को केंद्र सरकार द्वारा नाभिकीय सुविधाएं स्थापित करने या नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित गतिविधियां संचालित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है, वे नाभिकीय पदार्थ के निरंतर मॉनीटरन, लेखांकन और निगरानी, उत्पन्न रेडियोसक्रिय अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन, विकिरण से हुई क्षति, नाभिकीय घटनाओं के पीड़ितों को नाभिकीय क्षति के लिए शीघ्र मुआवजे के भुगतान तथा नाभिकीय सुविधा की जीवन-आयु की समाप्ति पर विकमीशनन सहित नाभिकीय सुविधाओं के संरक्षित एवं सुरक्षित प्रचालन के लिए जिम्मेदार होंगे।

(ग) नाभिकीय विद्युत संयंत्र के प्रचालक को शांति अधिनियम के तहत नाभिकीय घटना की स्थिति में नाभिकीय क्षति के लिए शीघ्र मुआवजा देने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। प्रचालक इन मुआवजों के भुगतान के लिए पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा बनाए रखने/बीमा के लिए जिम्मेदार है। नाभिकीय घटना की स्थिति में प्रचालक द्वारा भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि नाभिकीय सुविधा के प्रकार पर आधारित होगी जिसका प्रावधान शांति अधिनियम की अनुसूची में भी किया गया है।

*****